

FROM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, (उत्तर) जोधपुर

प्रार्थी:- राणाराम किस्म मुकदमा 212 आर.टी.एक्ट तारीख हुक्म	बनाम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अप्रार्थीगण:- बाबुलाल वगैराह मुकदमा नम्बर 111/2023 नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
---	--	---

19-12-23

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम श्रीयादे गांव, पटवार नांदडा कल्ला, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र डिगाडी, तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 23 रकबा 32.02 बीघा में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगणों को आगामी तिथि तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की आज्ञा से पाबंद किया जाता है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 16-1-24 को पेश हो।



सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
(उत्तर) जोधपुर

16/1/24

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी अयकाश पर
दिनांक 16/1/24 को पेश हो।

15/1/24

पत्रावली पेश हुई
अधिवक्ता के अन्तर्गत विज्ञापन जारी
के अन्तर्गत से अस्थाई हुक्म चलाने
के अन्तर्गत ही ही विज्ञापन जारी
हुकम जारी नहीं किया
जाता है
पत्रावली अन्तर्गत हुक्म बोकल दाखल
कराए जायें


उपखण्ड अधिकारी
(उत्तर) जोधपुर